सत्यप्रतिलिपि निर्णय दि० 4-9-17
पृ० नं 225/14 कैलाश/गिगराज आदि
न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नवलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 224/2014

कैलाश पुत्र जुहारा जाति माली निवासी ग्राम पबाना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. गिगराज
2. गूटन
3. सांवर उर्फ सांवरमल पुत्रान जुहारा जाति समस्त माली निवासीगण ग्राम पबाना तहसील नवलगढ
4. उप पंजियक मकुकुन्दगढ उप तहसील मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत : बंटवारा जमीन,स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय तिथि 04.09.2017

वाद वादीगण दिनांक 20.04.2016 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2016/1788 दिनांक 13.06.2016 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ग्राम पबाना की भूमि ख.न. 824 रकबा 0.42 है0, ख.न. 833 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 तथा भूमि ख.न. 822 रकबा 0.30 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:—

1. गिगराज पुत्र जुहारा जाति माली को भूमि ख.न. 824/1 रकबा 0.10 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. गूटन पुत्र जुहारा जाति माली को भूमि ख.न. 824/2 करबा 0.10 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. कैलाश पुत्र जुहारा जाति माली को भूमि ख.न. 824/3 रकबा 0.19 है0, 833 रकबा 0.06 किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. गिगराज, गुटन, कैलाश पिता जुहारा जाति माली को भूमि ख.न. 824/4 रकबा 0.03 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. सांवरा उर्फ सांवरमल पुत्र जुहारा जाति माली को भूमि ख.न. 822 रकबा 0.30 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/17

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

सत्यप्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ़

Scanned by CamScanner

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
आज पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक ने आदेशिका पर नोट प्रेस कर निवेदन किया कि प्रार्थना में वादी नहीं चलाना चाहते हैं प्रकरण को खारीज फरमावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 17.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
(हस्ताक्षर) M.L. Sharma	

Scanned by CamScanner